भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3266 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

ओडिशा में नमक भूमि का हस्तांतरण

†3266. श्री माथेश्वरन वी.एस.:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के दिनांक 03.02.2025 के आदेश, जिसके तहत ओडिशा में 6718.91 एकड़ नमक भूमि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को स्थानांतरित की गई थी, पट्टेदारों और निविदा-आवंटियों को दिए गए मुआवजे का पट्टेदार-वार और निविदा-आवंटी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ओडिशा में 6718.91 एकड़ नमक भूमि के संबंध में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के आंतरिक नीति दिशा-निर्देश 2024 के अनुसार, अंतरिती एजेंसी पट्टे के अधिकारों को समाप्त करने और नमक कामगारों के पुनर्वास की लागत को पूरा करने के लिए ,यदि कोई हो, पट्टाधारकों को मुआवजा देगी। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को नमक भूमि के हस्तांतरण हेतु डीपीआईआईटी का सैद्यांतिक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। तथापि, वर्तमान स्थिति के अनुसार, ओडिशा में 6718.91 एकड़ नमक भूमि का स्वामित्व नमक विभाग के पास है।

(ख): वर्तमान में जिला प्राधिकारियों के परामर्श से भूमि के सीमांकन हेतु सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इसके अलावा, पारादीप पत्तन प्राधिकरण ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एईसीओएम को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है, जिसके अगस्त 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।
